

अध्याय 1

वाणिज्यिक बैंक (Commercial Bank)

प्रस्तावना (Introduction)

बैंक किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के संपूर्ण विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बैंक अर्थव्यवस्था के विकास हेतु युवाओं का संगठन करके उन्हें उत्पादक कार्यों में लगाते हैं। बैंकिंग व्यवस्था की संरचना एवं कार्य प्रणाली एक राष्ट्र के वित्तीय स्थायित्व एवं आर्थिक प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। बैंक बचत करता एवं निवेशकों के मध्य एक सेतु का कार्य करते हैं। आधुनिक आर्थिक जगत में बैंक समस्त आर्थिक क्रियाओं के केंद्र बिंदु हैं।

बैंक अपने अपरिपक्व स्वरूप में अत्यंत प्राचीन काल में भी पाए जाते थे। बैंकिंग गतिविधियां के प्रमाण वैदिक काल में भी मिलते हैं, जिसमें अपरिष्कृत बैंकिंग क्रियाओं को उधार लेन-देन के रूप में मंदिरों में संपन्न किया जाता था।

आधुनिक "बैंक"(Bank) शब्द का प्रादुर्भाव इटली भाषा के शब्द "BANCO" से हुआ है जिसका अर्थ "बेंच" होता है। प्रारंभ इटली में सड़क के किनारे बेंच पर बैठकर व्यापारी लोग धन अथवा मुद्रा के लेनदेन का कार्य करते थे। अतः बैंक शब्द का प्रयोग मुद्रा का लेनदेन अथवा मुद्रा परिवर्तन का कार्य करने वाली तथा कालांतर में साख की व्यवस्था करने वाली संस्थाओं के लिए होने लगा।

एक अन्य मत के अनुसार बैंक शब्द का उद्गम जर्मन भाषा के शब्द "BANCK" से माना जाता है जिसका अर्थ सम्मिलित स्कंध कोष (joint stock fund) होता है। इस प्रकार बैंक शब्द की उत्पत्ति के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। परंतु यह निश्चित है कि आधुनिक बैंकिंग का प्रादुर्भाव यूरोप में हुआ। आरंभ में बैंकों की क्रियाएं सीमित थीं परंतु मानव सभ्यता के विकास के विभिन्न चरणों के साथ बैंकिंग क्रियाओं का तीव्र गति से विकास हुआ तथा वर्तमान में बैंकिंग क्रियाएं व्यापार और उद्योग जगत के लिए अपरिहार्य बन गए हैं।

बैंक का अर्थ एवं परिभाषाएं (Meaning and Definitions of Bank)

बैंक एक वित्तीय मध्यस्थ है जो धन उधार देने वाले

(lender) तथा धन उधार लेने वाले (borrower) के मध्य एक एजेंट अथवा मध्यस्थ का कार्य करता है। बैंक जनता की अल्प बचाता को संग्रहित कर के उन्हें बड़े कोसों में परिवर्तित करता है तथा उन्हें उत्पादक इकाइयों को उपलब्ध करवाते हैं, जो निवेश हेतु धन उधार लेती हैं।

बैंक वे संस्थान हैं, जो जनता से मुद्रा के रूप में जमाओं को प्राप्त करते हैं, जिन्हें चेक द्वारा आहरित किया जा सकता है पता जिनको लाभ कमाने के उद्देश्य से ऋण अथवा उधार के रूप में दिया जाता है।

अन्य शब्दों में बैंक लाभ कमाने वाली व्यावसायिक फर्म होती है, जो मुद्रा एवं साख में व्यवहार (dealing) करती है, मुद्रा में व्यवहार से यह तात्पर्य है कि बैंक जनता से जमा (deposit) को मुद्रा के रूप में प्राप्त करती है तथा उन्हें सुरक्षा की दृष्टि से अपने संरक्षण में रखती है। इस प्रकार, यह साख में व्यवहार करते हैं। बैंक प्राप्त कोसों से जरूरतमंद लोगों को ऋण उपलब्ध करवाते हैं।

अतः बैंक एक बड़े कुंड के समान है जिसमें बचत का प्रवाह होता रहता है इनको बैंक संग्रहित कर के व्यवसाय करता एवं अन्य जरूरतमंद लोगों को ब्याज पर, निवेश अथवा उत्पादक कार्यों में प्रयोग हेतु उपलब्ध करवाते हैं।

बैंकों के अनेक प्रकार होते हैं, जैसे वाणिज्यिक बैंक, निवेश बैंक, सहकारी बैंक, केंद्रीय बैंक, औद्योगिक बैंक आदि। परंतु जब हम केवल "बैंक" शब्द का उपयोग करते हैं तो इसका अर्थ वाणिज्यिक बैंक से होता है। वाणिज्यिक बैंकों का वित्तीय व्यवस्था में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है।

स्वचालित गणक मशीन (ए टी एम)

Automated Teller Machine(ATM)

पिछले दशक में भारतीय बैंकिंग में अनेक परिवर्तन हुए हैं। इन परिवर्तनों का प्रमुख कारण वर्ष 1991 में उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति को अपनाना है। इस नीति के कारण भारतीय वाणिज्यिक बैंकों को विदेशी बैंकों के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है। भारत में विदेशी बैंकों के प्रवेश के साथ ही देश में इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का शुभारंभ हुआ। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं को उपलब्ध करवाने के लिए स्वचालित गणक मशीन (एटीएम) को सबसे सरल एवं उपयुक्त उपकरण माना गया है। इसकी सहायता से बैंक ग्राहक आसानी से किसी भी समय तथा किसी भी स्थान से तीव्र तक बैंकिंग सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं।

विश्व में स्वचालित गणक मशीन का प्रयोग जून 1967 में बार्क्लेज बैंक (Barclays Bank) ने लंदन में किया। भारत में एटीएम मशीन की स्थापना सर्वप्रथम हांगकांग एवं शंघाई बैंक (HSBC) द्वारा वर्ष 1987 में मुंबई में की गई। वर्ष 2002 में आई सी आई सी आई (ICICI) बैंक ने मोबाइल एटीएम उपलब्ध करवाया। भारत में वर्तमान में लगभग दो लाख एटीएम कार्यशील है।

अर्थ, सेवाएं तथा कार्य प्रणाली

(Meaning Services and ,Working)

स्वचालित गणक मशीन एटीएम पूर्णतया सुरक्षित वातावरण में विभिन्न प्रकार के नकदी(cash) एवं गैर नकदी संबंधी कार्य बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप की कर सकती है। स्वचालित गणक मशीन (एटीएम) एक कंप्यूटरीकृत इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, जिसके उपयोग द्वारा एक बैंक का उपभोक्ता किसी भी समय नकद भुगतान प्राप्त कर सकता है तथा नकद जमा भी करा सकता है। एटीएम की सहायता से नकद लेनदेन के अतिरिक्त निम्नलिखित गैर नकदी अथवा गैर कोष आधारित सेवाओं को भी संपन्न किया जा सकता है:

1. पिछले 10 लेन-देन का विवरण (स्टेटमेंट) उपलब्ध करवाना।
2. नगद- शेष(cash-balance) संबंधी जानकारी प्राप्त करना।
3. भुगतान रोकने संबंधी निर्देश देना।
4. एक खाते से दूसरे खाते में धन का स्थानांतरण करना।
5. चेक बुक प्राप्त करने हेतु आवेदन करना।
6. बिलों का भुगतान करना।
7. सावधि जमा खाता (fixed deposit) खोलना।
8. व्यक्तिगत पहचान संख्या (PIN) बदलना।

स्वचालित गणक मशीन (एटीएम) के मुख्यतया दो भाग होते हैं, प्रथम कार्ड रीडर (card reader) एवं द्वितीय की-पेड (keypad)। कार्ड रीडर, एटीएम कार्ड में संग्रहित सूचना अथवा आंकड़ों को पढ़ता है जब इसे एटीएम में डाला जाता है। सूचना को पढ़ने के पश्चात यह आंकड़ों को सर्वर के पास भेजता है। एटीएम मशीन में डाले गए कार्ड की पहचान करने के लिए ग्राहक को अपनी व्यक्तिगत पहचान संख्या(Personal Identification Number- PIN) को की - पेड पर डालना होता है। व्यक्तिगत पहचान संख्या (पिन)केवल ग्राहक को ज्ञात होती है। इस संख्या को वह सुरक्षा की दृष्टि से जब चाहे बदल सकता है। ग्राहक अपनी पसंद के कोई भी चार अंक चुन कर उसे अपने पिन के रूप में उपयोग कर सकता है। जब ग्राहक मशीन में कार्ड डालकर अपनी व्यक्तिगत पहचान संख्या डालता है तो सर्वर ग्राहक के पूरे विवरण का मिलान करके एटीएम को अनुमति संबंधी कोड भेजता है जिसके पश्चात एटीएम से ग्राहक इच्छित बैंकिंग सेवा प्राप्त कर सकता है। बैंक जब अपने ग्राहक को एटीएम कार्ड जारी करता है तो प्रथम बार उस ग्राहक को 4 अंकों वाला पिन भी जारी करता है। एक बार इस पिन संख्या को उपयोग में ले कर ग्राहक अपनी सुविधा के अन्य अंको से इसे बदल सकता है। ग्राहक को पिन संख्या किसी भी अन्य व्यक्ति को नहीं बतानी चाहिए। यह एक गोपनीय संख्या होती है जिसका उपयोग एक पासवर्ड की तरह होता है। एटीएम में ग्राहक का विवरण एवं उसके द्वारा दिए गए निर्देश कार्ड रीडर एवं कीबोर्ड के माध्यम से उपलब्ध करवाए जाते हैं।

अतः कार्ड रीडर एवं की बोर्ड स्वचालित गणक मशीन (एटीएम) के इनपुट (आदा) युक्ति का कार्य करते हैं। कार्ड रीडर एवं की-बोर्ड को स्क्रीन, स्पीकर, प्रिंटर एवं(cash dispenser) कैश डिस्पेंसर से जोड़ा जाता है। कार्ड के विवरण का सर्वर द्वारा मिलान करके ग्राहक द्वारा उचित सेवा प्रदान करने के लिए स्क्रीन स्पीकर प्रिंटर के सहायता से जानकारी प्रदान की जाती है तथा कैश डिस्पेंसर से नगदी प्रदान की जाती है इन्हें आउटपुट (प्रदा) युक्ति कहा जाता है।

एटीएम कार्ड के पीछे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पट्टी(चिप) लगी होती है। इस पट्टी में ग्राहक के खाते संबंधी समस्त जानकारी संग्रहित होती है। ATM कार्ड को डेबिट कार्ड भी कहा जाता है। आप तो बोले थे एनी टाइम मनी भी कहा जाता है क्योंकि इसकी सहायता से किसी भी स्थान पर किसी भी समय पर धन अथवा नकदी प्राप्त की जा सकती है। वर्तमान में EMV(Euro pay MasterCard Visa) कार्ड जैसे आधुनिक एटीएम कार्ड चलन में आ गए हैं जो कि वैश्विक स्तर पर स्वीकार्य है।

स्वचालित गणक मशीन (एटीएम) के महत्वपूर्ण तथ्य (Important Facts About ATMs)

एटीएम की कुछ महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं:

1. एक बैंक द्वारा जारी किए गए ATM कार्ड का उपयोग किसी भी अन्य बैंक के एटीएम पर किया जा सकता है।
2. यदि पिन संख्या भूल जाए अथवा कार्ड मशीन में फस जाए तो खातेदार को अपनी बैंक शाखा से तुरंत संपर्क करना चाहिए।
3. यदि कार्ड गुम हो जाए अथवा चोरी हो जाए तो ग्राहक को अपनी बैंक शाखा से संपर्क करके तुरंत उसे रुकवाना चाहिए।
4. कार्ड जारी करने वाला बैंक 1 दिन में नदी निकालने की निश्चित सीमा निर्धारित करता है, जिसे सामान्यतया स्वचालित टेलर मशीन की स्क्रीन पर दर्शाया जाता है।
5. यदि कार्ड डालने पर नकद धनराशि प्राप्त नहीं हो तथा ग्राहक का खाता डेबिट हो जाए तो कार्ड जारी करने वाले बैंक को तुरंत शिकायत करनी चाहिए। सामान्यतया यह राशि ग्रह के खाते में 1 सप्ताह के अंदर वापस जमा हो जाती है।
6. एटीएम मशीन पर चेक बुक के लिए आवेदन करने पर ग्राहक के पंजीकृत पते पर इसे बैंक द्वारा डाक से भेजा जाता है।
7. वर्तमान में एटीएम से एक माह में पांच बार धन निकाला जा सकता है, इस संख्या को बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार समय-समय पर बदलता रहता है।

स्वचालित गणक मशीन(ATM) के प्रकार (Types of ATM machines)

स्वचालित गणक मशीन (एटीएम) सामान्यतया दो प्रकार की होती है:

प्रथम प्रकार की मशीन को बैंक शाखा परिसर में लगाया जाता है।

द्वितीय प्रकार की मशीन को शाखा परिसर से बाहर किसी बाजार रेलवे स्टेशन बस स्टैंड अथवा किसी अन्य महत्वपूर्ण संस्थान के परिसर में लगाया जाता है।

स्वचालित गणक मशीन के द्वारा ग्राहक किसी भी समय नकदी का आहरण कर सकता है एवं साथ ही मशीन पर उपलब्ध अन्य बैंक सेवाओं को किसी भी समय प्राप्त कर सकता है। ATM के प्रयोग से ग्राहक के समय की बचत होती है तथा उसे किसी भी स्थान पर शीघ्र एवं तीव्र सेवाएं उपलब्ध हो जाती है। इन मशीनों के उपयोग से बैंक शाखाओं में ग्राहकों की भीड़ कम रहती है, कर्मचारियों पर कार्य का दबाव कम रहता है, जिसके कारण बैंक शाखाओं का संचालन कुशलतापूर्वक कम लागत पर किया जा सकता है। ATM का नेटवर्क एक पूर्णतया केंद्रीयकृत डेटाबेस वातावरण पर आधारित होता है।

स्वचालित गणक मशीन (एटीएम)के बैंक ग्राहकों को लाभ (Benefits to Customers)

1. कहीं भी तथा किसी भी समय बैंकिंग सेवाओं की प्राप्ति
2. एक स्थान पर अनेक प्रकार की निरंतर सेवाओं की प्राप्ति
3. यात्रियों के लिए सुविधाजनक लेन- देन
4. व्यक्तिगत पहचान संख्या (पिन) की अनिवार्यता के कारण सुरक्षित लेनदेन संभव
5. नकदी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने में निहित जोखिम से मुक्ति
6. लेन-देन संबंधी निजता
7. अच्छे नोटों की प्राप्ति।

एटीएम से बैंकअं को लाभ (Benefits to Banks)

1. प्रतिस्पर्धी लाभ
2. बैंकअं के कार्य भार में कमी
3. ग्राहक संतुष्टि में सुधार
4. अधिक ग्राहकअं को उन्नत सेवाएं देना संभव
5. लेन देन एवं अन्य सेवाओं को उपलब्ध करवाने की लागतों में कमी
6. स्वचालित गणक मशीन की स्क्रीन पर बैंकिंग उत्पादअं का विज्ञापन दिखाना
7. शाखा बैंकिंग व्यवस्था को प्रति स्थापित करना ।

एटीएम उपभोक्ता द्वारा रखी जाने वाली सावधानियां:

(Precautions to be taken by ATM users)

1. ATM उपयोगकर्ता को पिन यदि संभव हो तो याद रखने चाहिए, इन्हें किस स्थान पर लिखकर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अन्य व्यक्ति को यह संख्या ज्ञात होने पर वह इसका दुरुपयोग कर सकता है ।
2. उपयोगकर्ता को अपना एटीएम कार्ड कभी भी अन्य व्यक्ति को ना तो देना चाहिए और ना ही दिखाना चाहिए ।
3. एटीएम से नकदी निकालते समय इसे तुरंत हाथ में ले लेना चाहिए तथा कार्ड निकाल लेना चाहिए । देरी होने पर नोट वापस मशीन में जा सकते हैं तथा खाते में नगद शेष कम हो सकता है ।
4. किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में एटीएम मशीन का उपयोग नहीं करना चाहिए ।
5. जब भी एटीएम का उपयोग करें, प्रत्येक संचालन के पश्चात इसे बंद करें इसके लिए क्लियर का बटन दबाएं ।
6. एटीएम कार्ड के गुम होने अथवा चोरी होने की स्थिति में ग्राहक को अपने बैंक को तुरंत सूचित करके इसे बंद (ब्लॉक) करवा देना चाहिए ।
7. एटीएम के प्रयोग के पश्चात लेनदेन संबंधी विवरण की पर्ची को सदैव फाड़ कर फेंकना चाहिए ।

स्वचालित गणक मशीन (एटीएम)की कमियां:

(Limitations of ATMs)

1. स्वचालित गणक मशीन की सहायता के लिए एटीएम कार्ड एवं पैन संख्या की आवश्यकता होती है । यदि कार्ड गुम हो जाए अतः पर किसी अन्य व्यक्ति को पता चल जाए तो ग्राहक के बैंक खाते में सुधार अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा निकाला जा सकता है ।
2. एटीएम कार्ड के उपयोगकर्ताओं को कार्ड के उपयोग के लिए वार्षिक शुल्क अदा करना होता है ।
3. एटीएम कार्ड के सहायता से एक माह में निश्चित संख्या (सामान्यतया पांच लेनदेन) किए जा सकते हैं ।
4. एटीएम का उपयोग करना प्रत्येक ग्राहक (विशेषताया अनपढ़)के लिए आसान नहीं होता ।
5. इन मशीनअं में अनेक बार नोट उपलब्ध नहीं होते हैं तथा तकनीकी खराबी के कारण भी ग्राहक को समय पर धन प्राप्त नहीं हो पाता ।

सारांश (Summary)

स्वचालित गणक मशीन(ऑटोमेटेड टेलर मशीन -ATM) एक कंप्यूटरीकृत इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जिसकी सहायता से एक बैंक का ग्राहक किसी भी समय तथा किसी भी स्थान पर बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के धन अथवा नकदी निकाल सकता है तथा जमा भी करा सकता है ।

इसके अतिरिक्त वह अपने खाते संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकता है । इस मशीन के उपयोग हेतु बैंक अपने ग्राहक को एटीएम कार्ड जारी करता है, जिसे ग्राहक एक व्यक्तिगत पहचान संख्या(पिन) कोड डालकर उपयोग में ला सकता है । स्वचालित गणक मशीन को बैंक शाखा परिसर एवं शाखा परिसर से बाहर किसी बाजार, रेलवे स्टेशन ,बस स्टैंड, अस्पताल अथवा अन्य विशिष्ट स्थान पर स्थापित किया जा सकता है । यह मशीन बैंक ग्राहक को समय की बचत एवं लागत में कमी के साथ तीव्र लेनदेन की सेवाएं उपलब्ध करवाती है । एटीएम की सहायता से ग्राहकअं को तीव्र ,उन्नत सेवाएं हर समय प्राप्त होती है तथा वह एक विस्तृत क्षेत्र में अथवा दूर दराज के क्षेत्र

में कम लागत पर आधारभूत बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवा पाते हैं। विश्व में, सर्वप्रथम बार्क्लेज बैंक ने तथा भारत में हांगकांग एवं शंघाई बैंक (एचएसबीसी) ने स्वचालित गणक मशीन की स्थापना की।

अभ्यास प्रश्न

1. एटीएम का पूरा नाम क्या है?
2. स्वचालित गणक मशीन की सर्वप्रथम स्थापना किस बैंक द्वारा की गई?
3. भारत में सर्वप्रथम एटीएम की स्थापना कौन से बैंक ने की?
4. स्वचालित गणक मशीनों द्वारा कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती हैं?
5. एटीएम के लाभ एवं दोषों का वर्णन कीजिए?
6. एटीएम मशीन के प्रयोग में कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए?
7. एटीएम के प्रकार एवं कार्य प्रणाली को समझाइए।

प्लास्टिक मुद्रा (Plastic Money)

मुद्रा का आर्थिक जगत में सर्वोच्च स्थान है। यह समस्त आर्थिक क्रियाओं के संचालन के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है। आर्थिक विकास में वृद्धि के साथ अर्थव्यवस्थाएं अत्यधिक जटिल एवं विस्तृत होती जा रही हैं। आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं के कुशलता पूर्वक संचालन के लिए मुद्रा की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। मुद्रा को रखना एवं एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में जोखिम निहित होती है। इस कारण बड़े भुगतान करने में धातु मुद्रा एवं पत्र मुद्रा का उपयोग अधिक सफल नहीं रहा है। पत्र मुद्रा के द्वारा बड़े भुगतान करने में होने वाली असुविधा को दूर करने के लिए चेक, ड्राफ्ट, बिल आदि का उपयोग होने लगा। मुद्रा के यह वैकल्पिक रूप निकट मुद्रा के नाम से जाने जाते हैं। हालांकि निकट मुद्रा सुविधाजनक तथा कम जोखिम वाली होती है, परंतु इसके द्वारा भुगतान में समय अधिक लगता है। अतः भुगतान में लगने वाले समय एवं ऊर्जा की बचत करने हेतु प्लास्टिक मुद्रा का आविष्कार हुआ।

प्लास्टिक मुद्रा का अर्थ सामान्यतया डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अथवा एटीएम कार्ड से लिया जाता है। ये कार्ड कठोर प्लास्टिक के बने होते हैं इनका उपयोग बैंक नोट के स्थान पर लेनदेन हेतु किया जाता है। इन कार्डों के पीछे एक विद्युत चुंबकीय पट्टी होती है जिसमें ग्राहक एवं बैंक से संबंधित समस्त जानकारी संग्रहित कर के रखी जाती है। अधिकृत व्यक्ति इन कार्डों का उपयोग किसी भी समय एवं किसी भी स्थान पर कर सकता है। वर्तमान में प्रीपेड कार्ड, स्मार्ट कार्ड एवं स्टोर कार्ड भी चलन में हैं।

अभी कुछ समय पहले भारतीय वाणिज्यिक बैंकों ने अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कार्डों को ईएमवी चिप कार्डों में परिवर्तित कर दिया है। यह कार्ड अधिक सुरक्षित हैं। ई.एम.वी.(EMV) का प्रयोग यूरो पे, मास्टर कार्ड, वीजा(Euro Pay, Master card, Visa) के लिए किया गया है। ये तीनों कंपनियां पेमेंट कार्ड से लेनदेन करने हेतु वैश्विक मानदंडों (ग्लोबल स्टैंडर्ड्स) का निर्माण करती हैं।

ई.एम.वी. कार्ड का उपयोग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किया जा सकता है।

वर्तमान में प्रचलित कुछ महत्वपूर्ण प्लास्टिक कार्ड का विवरण इस प्रकार है:

डेबिट कार्ड (Debit Card)

डेबिट कार्ड एक प्लास्टिक निर्मित छोटा सा कार्ड होता है। इस कार्ड को वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को भुगतान संबंधित गतिविधियों को संपन्न करने हेतु प्रदान किया जाता है। डेबिट कार्ड धारक इस कार्ड की सहायता से कभी भी एवं कहीं भी धन निकाल सकता है। सामान्यतया डेबिट कार्ड एवं एटीएम कार्ड एक ही होता है। इस कार्ड के माध्यम से स्वचालित गणक मशीन एटीएम का उपयोग करके धन प्राप्त किया जा सकता है अथवा जिन व्यापारिक संस्थानों एवं विक्रय केंद्रों द्वारा डेबिट कार्ड स्वीकार किए जाते हैं वहां पर बिना नकदी के उपयोग किए वस्तुओं और सेवाओं को क्रय किया जा सकता है।

डेबिट कार्ड से विभिन्न होटलों में पेट्रोल पंप एवं दुकानों में एक छोटी सी मशीन के उपयोग द्वारा तुरंत भुगतान किया जा सकता है। जब डेबिट कार्ड को मशीन में डाला जाता है तो वस्तु अथवा सेवा के विक्रेता को देय राशि का भुगतान तुरंत हो जाता है तथा कार्ड धारक के बैंक खाते से देय राशि तुरंत कट जाती है। डेबिट कार्ड द्वारा भुगतान

तीव्र एवं सुगमता से किया जा सकता है। डेबिट कार्ड में ग्राहक की बैंक खाता संख्या, स्वयं पहचान संख्या (पिन) आदि संबंधी सूचनाएं संग्रहित होती हैं। स्वचालित गणक मशीन (एटीएम) का उपयोग करने के लिए ग्राहक को पेन का उपयोग करना होते हैं जो एक गोपनीय संख्या होती है जिसका मालूम केवल कार्डधारक को होता है। जब डेबिट कार्ड को एटीएम मशीन में डाला जाता है तो वह पिन संख्या संबंधी जानकारी मांगती है। मशीन में सही पिन संख्या डालने पर ही एटीएम मशीन परिचालन की अनुमति देती है। पिन एक गोपनीय संख्या पासवर्ड की तरह होती है, जिसे कंप्यूटर प्रयोग करने वाला कंप्यूटर प्रक्रिया आरंभ करने से पहले कंप्यूटर पर डालता है।

डेबिट कार्ड का मुख्य लाभ यह है की कार्ड धारक को लेन-देन करने के लिए सदैव अपने पास नकदी नहीं रखनी पड़ती है। व्यक्ति आवश्यकता पड़ने पर किसी भी समय एवं किसी भी स्थान पर आवश्यक धनराशि एटीएम मशीन की सहायता से निकाल सकता है। इस प्रकार डेबिट अथवा एटीएम कार्ड के उपयोग द्वारा नगदी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में निहित जोखिम को कम किया जा सकता है। यह भुगतान करने का आसान सुविधाजनक एवं आधुनिक तरीका है। एटीएम एवं डेबिट कार्ड के माध्यम से कार्डधारक अपने बैंक खाते का बैलेंस जान सकता है धन का स्थानांतरण कर सकता है, नकदी प्राप्त कर सकता है, चेक बुक मंगवा सकते हैं तथा अन्य वित्तीय सेवाओं को प्राप्त कर सकता है।

डेबिट कार्ड का उपयोग करते ही बैंक ग्राहक के खाते में से प्रयुक्त राशि कट जाती है, खाते में जितनी राशि होती है उतनी ही राशि के लेनदेन डेबिट कार्ड से किए जा सकते हैं।

दिसंबर 2018 से समस्त डेबिट कार्ड ईएमवी प्रकार के हो गए हैं। जो वैश्विक भुगतान मापदंडों पर आधारित है। ईएमवी कार्ड विश्व स्तर पर स्वीकार किए जाते हैं। मास्टर कार्ड एवं वीजा कार्ड दो पेमेंट गेटवे हैं जो विश्व के अधिकांश देशों के बैंकों को अपने कार्ड के द्वारा भुगतान की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। कुछ वर्षों पूर्व भारत में रुपये कार्ड चलन में आया है जो कि एक घरेलू पेमेंट गेटवे है। इसे (NPCL- नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन आफ इंडिया) ने सिर्फ भारत में इस्तेमाल करने के लिए बनाया है।

मास्टरकार्ड तथा विजा कार्ड अमेरिकन कंपनी है जबकि रुपये कार्ड एक भारतीय कंपनी है।

सामान्यतया बैंक, डेबिट कार्ड एवं एटीएम कार्ड दोनों एक ही कार्ड में उपलब्ध करवाते हैं।

डेबिट कार्ड में कार्ड धारक, कार्ड जारी करने वाला बैंक, व्यापारियों के लिए भुगतान स्वीकार करने वाले वित्तीय संस्थान आदि पक्षकार सम्मिलित होते हैं। जब भी कोई व्यक्ति डेबिट कार्ड के माध्यम से वस्तुओं एवं सेवाओं को क्रय करता है, तो उसके बैंक खाते में से राशि कटकर व्यापारी के खाते में जमा हो जाती है। डेबिट कार्ड से भुगतान करने की व्यवस्था अति सुगम एवं सरल होती है। इसकी सहायता से बिजली, पानी टेलिफोन आदि के बिलों का भुगतान आसानी से किया जा सकता है। इसके उपयोग से नगदी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाना पड़ता है। इसका उपयोग किसी भी समय तथा किसी भी स्थान पर किया जा सकता है।

आधुनिक वाणिज्यिक बैंक तथा वित्तीय संस्थान अपने ग्राहकों को डेबिट कार्ड उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं, क्योंकि बैंकों के लिए भी इन के माध्यम से वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध करवाना सुगम होता है तथा इनकी लागत कम होने के कारण धन की बचत होती है।

वाणिज्यिक बैंक इन कार्डों के उपयोग के लिए अपने ग्राहकों से प्रतिवर्ष एक निश्चित शुल्क भी लेते हैं, जिससे बैंकों को अतिरिक्त आमदनी भी प्राप्त होती है।

इस प्रकार डेबिट कार्ड का उपयोग बैंक ग्राहकों विक्रेताओं, वाणिज्यिक बैंक सभी के लिए सुविधाजनक होता है, साथ ही मितव्ययी भी होता है, वर्तमान में लगभग सभी वाणिज्यिक बैंक अपने ग्राहकों को डेबिट एवं एटीएम कार्ड के सहायता से बैंकिंग वित्तीय तथा अन्य संबंधित सेवाएं उपलब्ध करवा रहे हैं।

क्रेडिट कार्ड (Credit Card)

क्रेडिट कार्ड भी डेबिट कार्ड की तरह प्लास्टिक निर्मित होता है। इसके द्वारा कार्ड धारक बिना तुरंत भुगतान किए वस्तुओं एवं सेवाओं को क्रय कर सकता है। इस प्रकार क्रेडिट कार्ड एक बैंक ग्राहक अथवा क्रेडिट कार्ड धारक के लिए अल्पकालीन ऋण का कार्य करता है। क्रेडिट कार्ड को जारी करते समय वाणिज्यिक बैंक अपने उपभोक्ताओं के साथ एक समझौता करते हैं।

क्रेडिट कार्ड धारक को इस समझौते की समस्त शर्तों का पालन करना पड़ता है। क्रेडिट कार्ड पर उपभोक्ता का नाम तथा खाता संख्या लिखी हुई होती है। क्रेडिट कार्ड पर कार्ड की वैधता की अवधि तथा तिथि भी लिखी होती है। क्रेडिट कार्ड "अभी खरीदो एवं बाद में भुगतान करो" के सिद्धांत पर आधारित होता है। क्रेडिट कार्ड धारक को कार्ड के उपयोग एवं धन राशि के उपयोग के लिए ना तो ब्याज देना पड़ता है तथा ना ही वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए

अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। उसे केवल कार्ड का निर्धारित सेवा शुल्क देना होता है। क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला बैंक ग्राहक द्वारा क्रय की गई वस्तु अथवा सेवा के लिए उसके विक्रेता को तुरंत भुगतान करता है तथा वस्तु के क्रेता से उस रकम की प्राप्ति 30 से 45 दिवस की अवधि के पश्चात करते हैं। क्रेडिट कार्ड की सहायता से अनेक निर्धारित व्यापारिक प्रतिष्ठानों जैसे सितारा होटल, ट्रेवल एजेंसियाँ, डिपार्टमेंटल स्टोर आदि से वस्तुओं एवं सेवाओं को बिना नगद भुगतान के क्रय किया जा सकता है।

क्रेडिट कार्ड धारक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक नगदी ले जाने का जोखिम नहीं उठाना पड़ता है। व्यापारिक प्रतिष्ठान क्रेडिट कार्ड के आधार पर ग्राहकों को वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध करवाकर बैंक से तुरंत अपना भुगतान प्राप्त कर लेते हैं। उपभोक्ता के लिए यह रतन एक प्रकार का अल्पकालीन ऋण होता है। क्रेडिट कार्ड को साख कार्ड अथवा प्लास्टिक मुद्रा भी कहा जाता है।

क्रेडिट कार्ड द्वारा लेन-देन में निम्नलिखित चरणों को संपन्न करना होता है:

१. क्रेडिट कार्ड धारक, एक निर्धारित विक्रेता से वस्तुओं अथवा सेवा को क्रय करता है तथा अपना कार्ड भुगतान हेतु प्रस्तुत करता है।
२. विक्रेता अथवा संस्थान, क्रेडिट कार्ड धारक द्वारा प्रस्तुत कार्ड की संख्या को बैंक द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूची में देखकर कार्ड को सत्यापित करता है।
३. कार्ड धारक क्रय किए गए सामान अथवा सेवा के बिल पर अपने हस्ताक्षर करता है, जिसका मिलान कार्ड पर किए गए हस्ताक्षर से किया जाता है।
४. वस्तु विक्रेता को भुगतान प्राप्त करने हेतु क्रेडिट कार्ड धारक के हस्ताक्षरित विक्रय बिल बैंक को प्रस्तुत करने होते हैं।
५. बैंक, क्रेडिट कार्ड धारक के स्थान पर वस्तु विक्रेता को भुगतान करता है।
६. उपरोक्त प्रक्रिया संपन्न होने के पश्चात बैंक क्रेडिट कार्ड धारक को बिल भेजता है तथा उसे 30 से 45 दिन बाद भुगतान करने के निर्देश देता है।

वर्तमान वित्तीय व्यवस्था में क्रेडिट कार्ड को नकदी एवं चेक का विकल्प माना जाता है। आधुनिक आर्थिक जगत में अनेक प्रकार के क्रेडिट कार्ड प्रचलन में हैं। प्रत्येक प्रकार के कार्ड के अपने-अपने लाभ हैं। सामान्यतया बैंक जो क्रेडिट कार्ड जारी करता है वह उस कार्ड के भुगतान ब्रांड का सदस्य होता है। उदाहरण स्वरूप वीजा(VISA) एक भुगतान ब्रांड है। इसके कार्ड विश्व स्तर पर अनेक प्रतिष्ठानों द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। जो प्रतिष्ठान VISA संकेत चिन्ह लगाकर रखते हैं वह वीजा कार्ड द्वारा भुगतान स्वीकार करते हैं। हालांकि VISA स्वयं कार्ड जारी नहीं करता है, यह केवल अपने सदस्यों के लिए नवीन भुगतान उत्पाद एवं तकनीक उपलब्ध करवाता है। क्रेडिट कार्ड द्वारा किए जाने वाले सौदों के लिए बैंक को कमीशन प्राप्त होता है, इस कमीशन में से एक हिस्सा VISA अथवा MASTER Card कंपनियों को भी मिलता है। क्रेडिट कार्ड, विभिन्न वित्तीय एवं बैंकिंग संस्थानों द्वारा अलग-अलग सुविधाओं एवं अवधि के साथ ग्राहकों को वित्त सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु जारी किए जाते हैं।

क्रेडिट कार्ड द्वारा भुगतान करने के लिए कुछ बैंक अपने ग्राहकों को अंक(points) प्रदान करते हैं। कुछ बैंक क्रेडिट कार्ड को प्रोत्साहित करने हेतु नगद वापसी (कैश बैक) जैसा प्रोत्साहन भी देते हैं। भारत में अभी भी क्रेडिट कार्ड का उपयोग बहुत कम हो रहा है परंतु अन्य देशों में क्रेडिट कार्ड का अत्यधिक प्रचलन है।

स्मार्ट कार्ड (Smart Card)

स्मार्ट कार्ड की सर्वप्रथम शुरुआत फ्रांस में वर्ष 1984 में हुई। स्मार्ट कार्ड दिखने में अन्य प्लास्टिक कार्ड जैसा होता है। इसमें एक एकीकृत परिपथ (इंटीग्रेटेड सर्किट चिप) लगी होती है जिसे आई.सी चिप के नाम से भी जाना जाता है। आईसी चिप में मेमोरी योग्यता होती है उन्नत गणन क्षमता होती है। स्मार्ट कार्ड मेमोरी अथवा याददाश्त योग्यता के कारण स्थाई आंकड़ों को संगठित करके रखा जाता है। स्मार्ट कार्ड का प्रयोग एक पहचान पत्र (Identity- Card) के रूप में, एक स्वास्थ्य संबंधी जानकारी वाले मेडिकल कार्ड के रूप में तथा एक क्रेडिट कार्ड अथवा डेबिट कार्ड के रूप में लेनदेन को सुगम बनाने हेतु किया जा सकता है। स्मार्ट कार्ड में धारक की पहचान, स्वास्थ्य, वित्तीय क्षेत्र से संबंधित संपूर्ण जानकारी संग्रहित होती है।

स्मार्ट कार्ड की सहायता से अनेक प्रकार के कार्डों की सुविधा प्राप्त की जा सकती है। इसीलिए इसे स्मार्ट कार्ड के नाम से जाना जाता है। इसका भविष्य अत्यंत उज्ज्वल है। स्मार्ट कार्ड उपभोक्ता व्यापारी एवं वाणिज्यिक बैंकों

के लिए अत्यंत उपयोगी है क्योंकि उपभोक्ता इससे लेनदेन का कार्य सुगमता पूर्वक कर सकता है तथा अन्य छोटे बिलों का भुगतान आसानी से कर सकता है। व्यापारी एवं विक्रेता को इसके उपयोग से नगद के रखरखाव संबंधी खर्चा एवं जोखिम नहीं उठाना पड़ता, इसी प्रकार बैंकों के खर्च को भी स्मार्ट कार्ड के द्वारा अनेक गैर वित्तीय लाभ उठाए जा सकते हैं। स्मार्ट कार्ड के उपयोग से उद्योग ग्राहकों के बारे में आवश्यक जानकारी एवं उनकी क्रय करने की आदतों के बारे में सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

मोबाइल बैंकिंग (Mobile Banking)

आधुनिक युग में बैंक ग्राहकों की बढ़ती हुई एवं जटिल मांगों को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक बैंकों ने अनेक नवीन बैंकिंग उत्पाद एवं सेवाएं उपलब्ध करवाई हैं। इनमें मोबाइल बैंकिंग एक अत्यंत लोकप्रिय सेवा है। इसे ग्राहक किसी भी स्थान एवं किसी भी समय अपने मोबाइल फोन से प्राप्त कर सकता है। मोबाइल बैंकिंग को एस बैंकिंग अथवा एस एम एस (S.M.S.) बैंकिंग के नाम से भी जाना जाता है।

मोबाइल बैंकिंग का अर्थ

(Mobile Banking : Mening)

मोबाइल बैंकिंग का तात्पर्य मोबाइल फोन की सहायता से बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं को उपलब्ध करवाना है। इस विधि से विभिन्न प्रकार के वित्तीय लेनदेन एवं स्टॉक बाजार संबंधी सेवाओं को मोबाइल फोन पर ही संपादित किया जा सकता है। मोबाइल फोन के बढ़ते हुए उपयोग को ध्यान में रखकर विभिन्न बैंक अपने ग्राहकों को मोबाइल फोन पर उनके खाते के शेष (balance), कोषों के हस्तांतरण, नवीन सेवाओं की जानकारी आदि उपलब्ध करवाते हैं यह एक सुरक्षित एवं सुगम बैंकिंग सेवा है वर्तमान समय में मोबाइल बैंकिंग के लिए एक विस्तृत क्षेत्र है इसके द्वारा ऑनलाइन बैंकिंग की तरह कंप्यूटर के बिना मोबाइल फोन पर अनेक बैंकिंग सेवाओं को संपादित किया जा सकता है। मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं की बढ़ती हुई संख्या के कारण मोबाइल बैंकिंग सेवा की मांग निरंतर बढ़ रही है।

मोबाइल बैंकिंग की विशेषताएं अथवा लाभ

(Features or Advantages of Mobile Banking)

मोबाइल बैंकिंग के उपयोगकर्ताओं को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं:

1. मोबाइल बैंकिंग के द्वारा वाणिज्यिक बैंक अपने ग्राहकों को सातों दिन 24 घंटे (24×7) बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं।
2. मोबाइल बैंकिंग की सहायता से ग्राहकों को कम लागत पर उन्नत एवं तीव्र बैंकिंग सेवाएं प्राप्त होती हैं।

3. यह भुगतान की एक सरल एवं सुविधाजनक विधि है क्योंकि ग्राहक आसानी से मोबाइल पर ऐप डाउनलोड करके तुरंत लेनदेन कर सकता है।
4. इसमें बैंक शाखा में जाने की आवश्यकता नहीं रहती जिससे ग्राहकों का बहुमूल्य समय बचता है।
5. यह नकदी ले जाने की तुलना में अधिक सुरक्षित है।
6. मोबाइल बैंकिंग सेवा से बैंकिंग सेवाओं का प्रसार ग्रामीण एवं दूर-दराज के क्षेत्रों में संभव है।

मोबाइल बैंकिंग पर उपलब्ध सेवाएं

(Services Available at Mobile Banking)

भारत में वर्तमान में वाणिज्यिक बैंक अपने ग्राहकों को निम्नलिखित बैंकिंग सेवाएं मोबाइल बैंकिंग की सहायता से उपलब्ध करवा रहे हैं

1. बैंक खाते में उपलब्ध शेष संबंधी जानकारी देना एवं चेक की स्थिति बताना।
2. खाते में धन जमा होना अथवा धन निकालने एवं न्यूनतम से संबंधित अलर्ट अथवा सूचना प्रदान करना।
3. चेक बुक के लिए आवेदन करना।
4. ब्याज दर एवं विनिमय दरों संबंधी जानकारी प्राप्त करना।
5. मोबाइल रिचार्ज एवं अन्य बिलों का भुगतान करना।
6. पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएं, स्टॉक बाजार एवं प्रतिभूतियों के मूल्य संबंधी जानकारी प्रदान करना।
7. व्यक्तिगत पहचान संख्या पिन उपलब्ध करवाना तथा उसमें परिवर्तन की सुविधा प्रदान करना।
8. एटीएम कार्ड गुम अथवा चोरी होने की स्थिति में उन्हें बंद करवाना।
9. म्यूच्युअल फंड एवं समता पूंजी संबंधी विवरण उपलब्ध करवाना।
10. बीमा पॉलिसी प्रबंधन एवं भुगतान तिथि संबंधी जानकारी प्रदान करना।

उपरोक्त सेवाएं प्रदान करवा कर मोबाइल बैंकिंग ने विभिन्न प्रकार के लेन देन को सरल तीव्र एवं सुविधाजनक बना दिया है। इसी के साथ मोबाइल बैंकिंग ने विभिन्न बैंकों को गैर बैंकिंग क्षेत्र में भी बैंक ग्राहक उपलब्ध करवा दिए हैं। मोबाइल बैंकिंग से बैंक ग्राहकों को बैंकिंग सेवाएं प्राप्त करने का एक अतिरिक्त वैकल्पिक माध्यम उपलब्ध करवा दिया है।

मोबाइल बैंकिंग सेवाओं का वर्गीकरण

(Classification of Mobile Banking Services)

मोबाइल बैंकिंग सेवाओं को मुख्यतः दो भागों में विभक्त किया जा सकता है,

प्रथम - पुश बेस्ड सेवाएं

द्वितीय-पुल बेस्ड सेवाएं

पुश बेस्ड सेवाएं (Push-Based Services)

पुश बेस्ड सेवाएं अथवा धक्का आधारित सेवाओं का वर्गीकरण उस सेवा के उद्भव(origin) को ध्यान में रखकर किया गया है। इन सेवाओं के अंतर्गत बैंक अपने ग्राहकों को कुछ नियमों के तहत खाते का विवरण(statement) उपलब्ध करवाता है, लेन-देन संबंधी संदेश भेजता है तथा बैंक की नीतियों एवं योजनाओं संबंधी जानकारी भेजता है। इन सेवाओं को प्रदान करने के लिए बैंक अपने ग्राहकों को खाते में धन जमा होने तथा धन निकालने पर अलर्ट भेजकर जानकारी देता है। इसी प्रकार बैंक बिलों के भुगतान होने पर तथा न्यूनतम शेष(balance) से संबंधित संदेश समय-समय पर भेजता है। अधिक राशि के आहरण(withdrawal) पर भी संदेश भेजकर सुनिश्चित किया जाता है कि ग्राहक ने एटीएम अथवा डेबिट कार्ड से धन निकाला है या नहीं।

पुल बेस्ड सेवाएं(Pull based services)

पुल बेस्ड सेवाएं, सेवा की प्रकृति पर आधारित होती है। यह सेवाएं ग्राहक की प्रार्थना पर बैंक द्वारा उपलब्ध करवाई जाती हैं इन सेवाओं को भी दो उप भागों में विभक्त किया जा सकता है।

(अ) लेन देन आधारित सेवाएं (Transaction Based Service)

1. कोष का हस्तंतरण

2. बिलों का भुगतान

(ब) पृष्ठताछ संबंधी सेवाएं(Enquiry Based Services)

1. खाते के शेष से संबंधित पृष्ठताछ, चेक की स्थिति, वर्तमान में किए गए लेनदेन की जानकारी प्राप्त करना ।

2. चेक बुक के लिए निवेदन करना ।

मोबाइल बैंकिंग की जोखिमें

(Risks Associated With Mobile Banking)

मोबाइल बैंकिंग, बैंकिंग संस्थानों तथा ग्राहकों के लिए अत्यंत लाभदायक है । यह बैंकों की संचालन लागत को कम करती है । इसकी सहायता से कुशल बैंकिंग सेवाएं प्राप्त होती हैं । ग्राहक को उसके द्वारा किए गए लेनदेन की तत्काल जानकारी , उसके मोबाइल संदेश से मिलती रहती है , जिसके फलस्वरूप धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है । मोबाइल बैंकिंग की अंतर्निहित जोखिमें इस प्रकार हैं:

1. मोबाइल बैंकिंग से वित्तीय सेवाओं को प्राप्त करने हेतु कुछ व्यक्तिगत सूचनाएं, संदेशों के साथ असुरक्षित वाईफाई केंद्रों पर लीक होने की संभावना रहती है ।

2. मोबाइल पर कुछ लोग धोखाधड़ी के उद्देश्य से अत्यधिक अवांछित संदेश बैंक के नाम से भेज कर आंकड़ों को चुराने का प्रयास करते हैं ।

3. बैंकिंग संस्थान अपने मोबाइल बैंकिंग सेवाओं के प्रबंधन के लिए टेलीकॉम एजेंट नियुक्त करती है । विभिन्न एजेंटों का नियमन एक केंद्रीय बैंक द्वारा संभव नहीं होता है ।

4. बैंकिंग संस्थान सदैव अपने ग्राहकों की सूचना को सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश करते हैं । परंतु कुछ मोबाइल फोन अनेक प्रकार के वायरस जैसे कि टोरोजन (Trojan) युक्त होते हैं । यह वायरस हैकर्स को ग्राहक की सूचना उनके मोबाइल फोन से प्राप्त करने का अवसर प्रदान करते हैं ।

5. मोबाइल फोन के गुम हो जाने की स्थिति में वित्तीय सूचनाओं के चोरी होने की संभावना बनी रहती है । इससे बैंक ग्राहक के साथ धोखाधड़ी हो सकती है । इसी प्रकार पुराने मोबाइल को बेचने पर यदि उसमें से समस्त सूचनाओं को नहीं हटाया गया हो तो उसका भी गलत उपयोग हो सकता है ।

सतर्कता की विधियां(Precautionary Measures)

मोबाइल बैंकिंग , सेवा प्रदाता करने वाले (service provider) की लागत को कम करती है तथा बैंकिंग सेवाओं को ग्राहकों के लिए सुविधाजनक बनाती है ।

हालांकि इसमें दूर दराज के स्थानों से बिना बैंक एवं ग्राहक के आमने सामने उपस्थिति के बैंकिंग सेवा संपन्न की जाती है । जिससे इनमें जोखिम की मात्रा अधिक रहती है । पता है मोबाइल बैंकिंग सेवाओं के उपयोग करते समय अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता रहती है । मोबाइल बैंकिंग में निम्नलिखित सतर्कता विधियों का उपयोग करके इसे सुरक्षित बनाया जा सकता है ।

1. मोबाइल फोन यदि उपयोग में नहीं आ रहा है तो उसे ताला (lock) लगा कर रखना चाहिए । इसके लिए विभिन्न शब्दों , संकेत चिह्न , एवं संख्याओं की सहायता से एक पासवर्ड का प्रयोग करना चाहिए ताकि मोबाइल फोन की सूचना का कोई अन्य व्यक्ति दुरुपयोग ना कर सके ।

2. अपनी पहचान एवं सूचना को बचाने के लिए कभी भी किसी अन्य व्यक्ति एवं अनाधिकृत स्रोत के सामने अपनी व्यक्तिगत पहचान संख्या(PIN), पैन(PAN) कार्ड की सूचना, जन्मतिथि, बैंक कार्ड एवं खाता संख्या आदि को उजागर ना करें ।

3. अपने मोबाइल में एक एंटीवायरस डलवाए ताकि हैकर्स आंकड़ों की चोरी ना कर सके ।

4. अपने मोबाइल फोन में खेल, गाने आदि संग्रहित ना करें, यह धोखे बाजों को प्रविष्टि देकर आंकड़ों को चुराने का अवसर देते हैं ।

5. जब मोबाइल फोन का उपयोग नहीं हो रहा हो तो ब्लूटूथ को बंद रखें ।

6. अपने मोबाइल से किए गए लेनदेन की जानकारी हटा दें तथा उसे सदैव अपडेट रखें ।

सारांश (Summary)

भारतीय बैंकिंग वर्तमान समय में एक क्रांतिकारी परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। अपने ग्राहकों की बदलती हुई आवश्यकता समय की मांग को ध्यान में रखकर भारतीय वाणिज्यिक बैंक प्रतिदिन बैंकिंग सेवाओं एवं उत्पादों में नवाचार कर रहे हैं। मोबाइल बैंकिंग इन नवाचारों का ही परिणाम है, जिसके अंतर्गत बैंक अपने ग्राहकों को कुछ बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएं 24 × 7 आधार पर उपलब्ध करवा रहे हैं। मोबाइल बैंकिंग की सहायता से बिना नकदी के उपयोग के लेनदेन किए जा सकते हैं। खाते के शेष, चेक की स्थिति, चेक बुक के लिए आवेदन, प्रतिभूति बाजार से प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय जैसी सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं। यह एक अत्यंत सुविधाजनक बैंकिंग सेवाओं को प्राप्त करने का माध्यम है परंतु इसमें कुछ अंतर्निहित जोखिम हैं। मोबाइल बैंकिंग के उचित पासवर्ड, एंटीवायरस एवं अन्य सावधानियों को उपयोग में लाकर इन जोखिमों से बचा जा सकता है।

सर्वव्यापी बैंकिंग

(Universal Banking)

भारतीय बैंकिंग के नवीन आयामों में सर्वव्यापी बैंकिंग (यूनिवर्सल बैंकिंग) का एक महत्वपूर्ण स्थान है। वित्तीय क्षेत्र में हो रहे तीव्र एवं निरंतर परिवर्तनों के कारण पिछले कुछ वर्षों में सर्वव्यापी बैंकिंग के प्रति रुझान में लगातार वृद्धि हो रही है। सर्वव्यापी बैंकिंग को भारत में लागू करने के लिए सर्वप्रथम आर एच खान समिति ने सिफारिश की। वैश्वीकरण एवं उदारीकरण को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण विश्व में अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। वित्तीय क्षेत्र भी इनमें से एक है। वर्तमान भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में अनेक नवाचार किए जा रहे हैं, उनमें सर्वव्यापी बैंकिंग भी एक प्रमुख नवाचार है।

सर्वव्यापी बैंकिंग का अर्थ

(Meaning of Universal Banking)

सर्वव्यापी बैंकिंग, एक ऐसी बैंकिंग व्यवस्था है जिसमें सभी प्रकार की बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाई जाती हैं। परंपरागत वाणिज्यिक बैंक केवल जमाओं के संग्रहण एवं उद्योग व्यापार तथा वाणिज्य के लिए कार्यशील पूंजी उपलब्ध करवाने का कार्य करते हैं।

जबकि सर्वव्यापी बैंकिंग एक फर्म अथवा कंपनी के द्वारा अनेक प्रकार के बैंकिंग एवं वित्तीय उत्पाद एक ही छत के नीचे उपलब्ध करवाए जाते हैं। सर्वव्यापी बैंक वाणिज्य बैंकिंग निवेश बैंकिंग तथा बीमा सहित अनेक वित्तीय उत्पाद एवं सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला एक बैंक अथवा उसकी सहायक कंपनियों की सहायता से उपलब्ध करवाते हैं। सर्वव्यापी बैंक वित्तीय सेवाओं एवं उत्पादों के सुपर बाजार होते हैं।

सर्वव्यापी बैंक सर्वप्रथम 19वीं शताब्दी में जर्मनी में आर्थिक उदारीकरण के फलस्वरूप प्रचलन में आए। इन्हें "एक वृहत बैंक जो कि एक छत के नीचे अपने ग्राहकों को विभिन्न वित्तीय सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं" के रूप में परिभाषित किया गया है।

भारत में आईसीआईसीआई बैंक ने मार्च 2002 में वास्तविक सर्वव्यापी बैंकिंग की शुरुआत की। सर्वव्यापी बैंकिंग की सहायता से खुदरा बैंकिंग (रिटेल बैंकिंग) जिसमें अधिक लाभ निहित है, अनेक संभावनाएं उत्पन्न हुई हैं। सर्वव्यापी बैंकिंग के फलस्वरूप बैंकों के व्यवसाय के आकार में वृद्धि हुई है तथा नवाचारों की शुरुआत हुई है। जिससे इनकी कार्य दक्षता में वृद्धि हुई है एवं लागतों में कमी आई है। इस तरह भारतीय बैंकों की प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता में वृद्धि हुई है, जिससे वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विदेशी बैंकों की चुनौतियों को स्वीकार कर पा रहे हैं। भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के अनेक प्रमुख बैंकों एवं विकास वित्तीय संस्थानों को सर्वव्यापी बैंक में परिवर्तित करने के प्रयास कर रही है ताकि खुदरा बैंकिंग गतिविधियों में क्रांतिकारी परिवर्तन करके उन्हें लाभदायक बनाया जा सके।

सर्वव्यापी बैंकिंग के लाभ

(Advantages of Universal BankiNg)

सर्वव्यापी बैंकिंग में निहित लाभों के कारण विश्व के अनेक देशों में इसे अपनाया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा लाभ आर्थिक कुशलता में वृद्धि होना है। जिसे कम लागत, अधिक उत्पादन एवं उन्नत उत्पादों के रूप में देखा जा सकता है। आज के प्रतिस्पर्धी युग में बैंक ग्राहकों को खुश एवं संतुष्ट रखना अत्यंत मुश्किल कार्य है। परंपरागत अथवा विशिष्ट वित्तीय संस्थान उनकी बदलती हुई मांगों को पूर्ण नहीं कर सकते। सर्वव्यापी बैंकों के पास अनेक व्यवसाय होते हैं, जिन्हें वे परिस्थितियों के अनुसार एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में साधनों को स्थानांतरित करके बिना अतिरिक्त व्यय के ग्राहकों के लिए उपयुक्त बना सकते हैं। सर्वव्यापी बैंकों के पक्ष में यह भी तर्क दिया जाता है कि वह एक खिड़की (single window) व्यवस्था के द्वारा विभिन्न वित्तीय उत्पाद उपलब्ध करवाकर ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध स्थापित कर सकते हैं।

सर्व व्यापी बैंकिंग के प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं:

1. पैमाने की मितव्ययता (Economies of Scale)

सर्वव्यापी बैंकिंग का सबसे बड़ा लाभ पैमाने की मितव्ययता है। इसमें सामान्य जनता से जमाओं का संग्रहण करके कोसों का निर्माण किया जाता है जिसका उपयोग दीर्घकालीन ऋणों के लिए एवं खुदरा बैंकिंग के लिए किया जाता है। सर्वव्यापी बैंक ग्राहकों की एक बड़ी संख्या को अनेक प्रकार की सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं। इसके लिए उन्हें अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती। पूर्व में स्थापित नेटवर्क के माध्यम से ही सर्वव्यापी बैंक अधिक ग्राहकों को कम लागत पर कुशल सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं।

2. ब्रांड नाम के आधार पर वित्तीय उत्पादों का सुगम विपणन (Easy Marketing of Financial Products on the Foundation of Brand Name)

सर्वव्यापी बैंकिंग के अंतर्गत विभिन्न वाणिज्यिक बैंक अपने नाम का उपयोग करके अपनी बैंक शाखाओं को बीमा एवं म्यूचुअल फंड जैसे वित्तीय उत्पादों की बिक्री के लिए वित्तीय सुपर बाजार की तरह प्रयुक्त कर सकते हैं। इन वित्तीय उत्पादों को बेचने के लिए वाणिज्यिक बैंकों अपने पूर्व में स्थापित साख के कारण अतिरिक्त प्रयास नहीं करने पड़ते। इस प्रकार बैंक अपने भविष्य के ग्राहकों तक बिना किसी मध्यस्थ की सहायता से आसानी से पहुंच सकते हैं। भारतीय वाणिज्य बैंकों में आईसीआईसीआई तथा एसबीआई अपने नाम के उपयोग से म्यूचुअल फंड एवं बीमा उत्पादों का विक्रय कर रहे हैं।

3. 'एकल खिड़की' खरीदारी (Single Window Shopping)

सर्वव्यापी बैंक अपने ग्राहकों को एक छत के नीचे अथवा एक खिड़की पर समस्त वित्तीय उत्पाद उपलब्ध करवाते हैं। एकल खिड़की योजना से ग्राहकों के समय की बचत होती है तथा बैंकों के खर्च भी कम होते हैं, जिसके कारण उनकी लागतों में कमी आती है।

4. अधिक विविधता एवं अधिक लाभदायकता

(Variety and Increased Profitability)

सर्वव्यापी बैंकिंग अपने ग्राहकों को विभिन्न प्रकार के वित्तीय उत्पाद उपलब्ध करवाते हैं। इससे उनके व्यवसाय के आकार में वृद्धि होती है तथा प्रति इकाई उत्पाद के लाभ में वृद्धि होती है।

5. निवेशक के हित संबंधी गतिविधियां

(Investor's Interest Related Activities)

सर्वव्यापी बैंक अपनी शरण वित्तीय स्थिति तथा संस्था के स्थायित्व के कारण अपने निवेशकों को आकर्षक एवं लाभदायक योजनाएं उपलब्ध करवाते हैं। उनके हितों की रक्षा करते हैं तथा मित्रवत व्यवहार रखते हैं। इन ग्राहकों के बैंक के साथ पुराने संबंध होते हैं, जिसके कारण वे इन बैंकों के नवीन उत्पादों को उन पर भरोसा करके आसानी से क्रय कर लेते हैं। बैंक भी अपनी ख्याति को बनाए रखने के लिए निवेशकों के हितों को ध्यान में रखकर अपनी गतिविधियों को संपन्न करते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक कोष हस्तांतरण (Electronic Funds Transfer-EFT)

इलेक्ट्रॉनिक विधि से कोष अथवा धन के हस्तांतरण के अभाव में एक बैंक ग्राहक के खाते से अन्य बैंक ग्राहक के खाते में कोष का हस्तांतरण चेक, बैंक ड्राफ्ट, मेल ट्रांसफर आदि की सहायता से किया जाता था। इन वित्तीय उपकरणों के माध्यम से कोषों के हस्तांतरण में अधिक समय लगता था। जब कोषों का हस्तांतरण एक शहर से अन्य शहर के बैंक में करना होता तो इसमें और अधिक समय लगता तथा जोखिम की मात्रा भी बढ़ जाती थी। एक शहर से दूसरे शहर में मुद्रा के हस्तांतरण तथा कुशल एवं उन्नत बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक कोष हस्तांतरण व्यवस्था को लागू किया।

अगस्त 1995 में इलेक्ट्रॉनिक कोष हस्तांतरण के विभिन्न आयामों के अध्ययन हेतु श्रेय समिति का गठन किया गया। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर 1 अप्रैल, 2003 से विभिन्न बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के मध्य कोष हस्तांतरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा का उपयोग किया जाने लगा। इलेक्ट्रॉनिक कोष हस्तांतरण प्रौद्योगिकी की उपलब्धता के कारण कोष का स्थानांतरण एक बैंक से दूसरे बैंक खाते में तथा एक शहर के बैंक से दूसरे शहर के बैंक में सुविधा एवं सुरक्षा के साथ तीव्र गति से किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक कोष हस्तांतरण विधि के अंतर्गत जो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था को भुगतान करना चाहता है। वह अपने बैंक को निर्देश दे देता है तथा बैंक उसके खाते से भुगतान प्राप्तकर्ता के खाते में भारतीय रिजर्व बैंक की सहायता से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कोष हस्तांतरित कर देता है। इलेक्ट्रॉनिक कोष हस्तांतरण में धन को एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, एटीएम अथवा मोबाइल से भेजा जा सकता है।

इलेक्ट्रॉनिक कोष हस्तांतरण के लाभ (Benefits of EFT)

1. इलेक्ट्रॉनिक कोष हस्तांतरण, कोषों के हस्तांतरण की तीव्रतम विधि है, इसकी सहायता से कोष हस्तांतरण में समय की बचत होती है।
2. इस विधि में किसी प्रकार की कागजी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होती।
3. इसमें हिताग्राही (beneficiary) को बैंक जाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसके खाते में धन अपने आप जमा हो जाता है।
4. इलेक्ट्रॉनिक कोष हस्तांतरण में अंतर्निहित सुरक्षा व्यवस्था कोष के हस्तांतरण को सुनिश्चित करती है।
5. इस विधि से कोषों के हस्तांतरण की लागत बहुत कम होती है।
6. ई एफ टी द्वारा कोष हस्तांतरित करने पर, कोष हस्तांतरित करने वाले एवं प्राप्तकर्ता दोनों को धन हस्तांतरण होने पर संदेश प्राप्त हो जाता है।

इलेक्ट्रॉनिक कोष हस्तांतरण की विधियां (Types of EFT Methods)

भारत में वर्तमान में अनेक इलेक्ट्रॉनिक कोष हस्तांतरण विधियां प्रचलन में हैं, इनमें इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सिस्टम, नेफ्ट, आरटीजीएस तथा आई एम पी एस प्रमुख हैं। कोष हस्तांतरण की इन विधियों में मुख्यतः भुगतान में लगने वाले समय एवं भुगतान राशि के आधार पर विभेद किया जाता है। ये समस्त विधियां भुगतान एवं समाशोधन अधिनियम(Payment and Settlement Systems Act) ,2007 के द्वारा नियमित एवं नियंत्रित की जाती हैं।

इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विस (ईसीएस) Electronic Clearing Service (ECS)

इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विस (ईसीएस) बैंक के एक खाते से अनेक खातों तथा अनेक खातों से एक खाते में धन के हस्तांतरण को संभव बनाती है। ई सी एस प्रणाली एक खुदरा भुगतान व्यवस्था है जिसके अंतर्गत अत्यधिक संख्या में भुगतान एवं प्राप्तियां जिनकी प्रवृत्ति समान होती है तथा जिनको एक निश्चित अंतराल के पश्चात बार - बार दोहराना पड़ता है के समाशोधन में उपयोग में लाया जाता है। ईसीएस उन कंपनियों एवं सरकारी विभागों के लिए उपयोगी है, जिन्हें बड़े पैमाने पर व्यक्तिक इकाइयों को एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात अनेक बार भुगतान करना होता है अथवा उनसे भुगतान प्राप्त करना होता है। संपूर्ण भारत में ईसीएस प्रणाली के 47 केंद्र उपलब्ध हैं। इन केंद्रों का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक एवं इसके सहयोगी बैंक करते हैं। ईसीएस प्रणाली को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है:

ईसीएस क्रेडिट(ECS credit)

ईसीएस क्रेडिट के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक कोष हस्तांतरण पद्धति से एक खाते से अनेक खातों में कोष अथवा धन का सीधा हस्तांतरण होता है। जिन कंपनियों को एक निश्चित अवधि के पश्चात बार-बार लाभांश, ब्याज आदि का भुगतान करना होता है, वे कंपनियां ईसीएस क्रेडिट विधि का उपयोग कर सकती हैं। इसी प्रकार अनेक नियोक्ता जैसे वाणिज्यिक बैंक, सरकारी विभाग अपने कर्मचारियों को ईसीएस के माध्यम से उनके मासिक वेतन का भुगतान कर सकते हैं। इस प्रकार ईसीएस क्रेडिट विधि की सहायता से एक खाते से अनेक खातों में धन का हस्तांतरण संभव होता है। इसमें अनेक व्यक्तियों के खाते क्रेडिट होते हैं तथा एक नियोक्ता अथवा कंपनी का खाता डेबिट होता है।

ई सी एस डेबिट(ECS debit)

ई सी एस डेबिट व्यवस्था सामान्यतया जन उपयोगी कंपनियों जैसे दूरसंचार, विद्युत आपूर्ति, जल वितरण कंपनियों आदि द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। इस विधि के सहायता से कंपनियां अपने उपभोक्ताओं के बिलों का भुगतान आसानी से प्राप्त कर सकती हैं। इसकी सहायता से अनेक बैंक खातों से एक खाते में धन का हस्तांतरण किया जा सकता है। ई सी एस डेबिट की सहायता से उपभोक्ता अपने बिलों का भुगतान बिना नकदी एवं चेक के, केवल अपने बैंक को एक निर्देश देकर अपने बैंक खाते में से कंपनी के खाते में धन का हस्तांतरण करवा सकता है। इस प्रकार ईसीएस डेबिट के अंतर्गत अनेक बैंक खातों में से धन का हस्तांतरण एक खाते में किया जाता है अर्थात् अनेक खाते डेबिट होते हैं तथा कंपनी का एक खाता क्रेडिट होता है।

नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (नेफ्ट) National Electronic Funds Transfer (NEFT)

भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान एवं समाशोधन व्यवस्था को सुधारने के लिए अनेक उपाय किए हैं जिनमें नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (नेफ्ट) एक प्रमुख विधि है, जिसकी सहायता से एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में धन का हस्तांतरण किया जा सकता है। इस विधि की सहायता से सुबह 8:00 से शाम 7:00 बजे तक 12 बैच में कोष हस्तांतरित किए जाते हैं। नेफ्ट की सुविधा रविवार एवं अन्य बैंक अवकाश पर उपलब्ध नहीं कराई जाती है। नेफ्ट सुविधा पूरे देश में विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों की 74600 शाखाओं में उपलब्ध है। यह बैंक ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से अपनी वेबसाइट से इलेक्ट्रॉनिक विधि से धन को हस्तांतरित करते हैं। नेफ्ट कोष हस्तांतरण की सर्वाधिक लोकप्रिय विधि है। नेफ्ट की सहायता से एक शहर से दूसरे शहर, एक बैंक शाखा से दूसरे बैंक शाखा अथवा एक बैंक से दूसरे बैंक में कोष हस्तांतरण राष्ट्रीय स्तर पर किया जा सकता है। इस विधि द्वारा छोटे भुगतान को एक ही दिन में हस्तांतरित करने के लिए नवंबर 2005 में प्रारंभ किया गया। एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में कोष हस्तांतरण की राष्ट्रीय स्तर पर यह तीव्रतम विधि है।

नेफ्ट द्वारा कोष हस्तांतरण की प्रक्रिया (Process of NEFT)

नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर विधि से धन हस्तांतरण की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में संपन्न होती है :

1. नेफ्ट सुविधा के प्रयोग हेतु ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन विधि को प्रयोग में लाया जा सकता है। ऑनलाइन विधि के प्रयोग हेतु बैंक ग्राहक अपने बैंक खाते में ऑनलाइन बैंकिंग व्यवस्था को आरंभ करवाना होता है, इसके लिए हितग्राही (beneficiary) का विवरण जैसे नाम, पता, बैंक का नाम, शाखा का नाम, आईएफएससी कोड संख्या, खाता संख्या आदि देना होता है। ऑफलाइन व्यवस्था के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक कोष हस्तांतरण एटीएम के द्वारा किया जा सकता है अथवा ग्राहक के पास नेट बैंकिंग ना होने पर वह बैंक शाखा में नेफ्ट के लिए आवेदन करके धन का हस्तांतरण करवा सकता है।
2. ग्राहक के समस्त विवरण को एक संदेश के माध्यम से नेफ्ट सेवा केंद्र जिसे पुल्लिंग सेंटर भी कहा जाता है के पास भेज दिया जाता है।
3. नेफ्ट सेवा केंद्र इस संदेश को नेफ्ट समाशोधन केंद्र के पास भेजता है। इसे नेशनल क्लियरिंग सेल, भारतीय रिजर्व बैंक चलाता है। नेफ्ट की सहायता से इन संदेशों को निश्चित समय पर एक समूह(बैच) में एकत्रित करके भेजा जाता है।
4. समाशोधन केंद्र डेस्टिनेशन बैंक के अनुसार सभी कोषों की छटनी करने के पश्चात आरंभिक बैंक(originating bank) से कोष प्राप्त करके डेस्टिनेशन बैंक को भेजने के लिए प्राप्तियों(Receiving entries) को तैयार करता है, फिर पुल्लिंग सेंटर(संग्रहण केंद्र) के द्वारा एक-एक करके डेस्टिनेशन बैंक को संदेश अग्रेषित करता है।
5. इसके पश्चात सभी डेस्टिनेशन बैंक, क्लियरिंग सेंटर से संदेश प्राप्त करके धन को हितग्राही के खाते में जमा कर देते हैं।

इस प्रकार नेफ्ट के माध्यम से उपरोक्त चरणों में हमारे देश की राष्ट्रीय सीमा के भीतर किसी भी एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में धन का हस्तांतरण किया जा सकता है।

रियल टाइम ग्राँस सेटलमेंट (आरटीजीएस) व्यवस्था Real Time Gross Settlement(RTGS) system

आरटीजीएस कोष हस्तांतरण की एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत कोषों का निरंतर अथवा तत्काल तथा सकल आधार पर हस्तांतरण किया जा सकता है। यह बैंकिंग चैनल द्वारा कोष हस्तांतरण करने की सबसे तीव्र विधि है। इस विधि में किसी प्रकार का इंतजार नहीं करना पड़ता। आरटीजीएस में बीना कोषों को एकत्रित किए एक - एक कोष का निरंतर हस्तांतरण होता रहता है। इस विधि द्वारा वृहत कोषों का हस्तांतरण किया जाता है। आरटीजीएस पद्धति से कम से कम दो लाख रुपए हस्तांतरित किए जा सकते हैं। इस विधि द्वारा कोष हस्तांतरित करने की कोई अधिकतम सीमा नहीं होती। भारत में रियल टाइम ग्राँस सेटलमेंट प्रणाली को 26 मार्च, 2004 से लागू किया गया। किसी बैंक में इस प्रणाली को लागू करने के लिए यह आवश्यक है कि उस बैंक में पर्याप्त संख्या में शाखाओं को बैंक के केंद्रीय सरवर के साथ जोड़ा जाए। आरटीजीएस द्वारा धनराशि का हस्तांतरण तत्काल बहुत शीघ्रता के साथ होता है। इस विधि द्वारा धन का हस्तांतरण 2 घंटों के अंदर उपभोक्ता के खाते में हो जाता है तथा उसका तुरंत संदेश दे दिया जाता है। धन भेजने वाले बैंक को रिजर्व बैंक द्वारा धन प्राप्त होने वाले बैंक में धन जमा होने के पश्चात तुरंत संदेश भेज दिया जाता है। यदि किसी कारणवश 2 घंटे में उपभोक्ता के खाते में धन जमा नहीं हो पाता है तो धन भेजने वाले बैंक को भेजी गई राशि वापस लौटा दी जाती है। आरटीजीएस प्रणाली का संचालन एवं नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। वर्तमान समय में भारत में 115 बैंकों की लगभग 26000 शाखाएं आरटीजीएस पद्धति द्वारा कोषों का हस्तांतरण कर रही हैं। इस पद्धति की सहायता से एक व्यक्ति अथवा संस्था देश के किसी भी कोने में एक बैंक से दूसरे बैंक अथवा बैंक शाखा में धन हस्तांतरित कर सकता है बशर्ते वह बैंक आरटीजीएस प्रणाली का सदस्य होना चाहिए तथा इसकी शाखा का भारतीय अर्थव्यवस्था कूट संख्या (आई एफ एस कोड) होना चाहिए। आई एफ एस कोड (Indian Financial System कोड) एक 11 अंक वाली एक कूट संख्या होती है। इसके पहले 4 अंक बैंक कोड तथा अन्य अंक शाखा से संबंधित होते हैं। आरटीजीएस पद्धति कोषों का भुगतान एवं समाशोधन करने की एक अंतर बैंक प्रणाली है। इसके द्वारा भुगतान से, भुगतान संबंधित जोखिम कम हो जाती है तथा भुगतान तुरंत ऑनलाइन हो

जाता है। आरटीजीएस से धन भेजने के लिए लाभार्थी की खाता संख्या, बैंक शाखा, आईएफएस कोड संख्या की जानकारी होना आवश्यक है।

आई एम पी एस (इमीडिएट पेमेंट सर्विस)

I M P S (Immediate Payment Service)

आई एम पी एस कोष हस्तांतरण की भारत में प्रचलित एक लोकप्रिय विधि है। इसकी सहायता से कोषों का हस्तांतरण तुरंत किया जा सकता है। सामान्यतया आइएमपीएस विधि का उपयोग छोटे भुगतान के लिए किया जाता है। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि इसकी उपलब्धता रविवार एवं अन्य बैंक अवकाश पर भी 24 घंटे रहती है। अतः आपातकालीन परिस्थितियों में इस विधि के उपयोग से तुरंत कोषों का हस्तांतरण किया जा सकता है। आइएमपीएस का उपयोग मुख्यतः मोबाइल फोन अथवा मोबाइल बैंकिंग द्वारा किया जाता है। नेट बैंकिंग के सहायता से भी इस सेवा का उपयोग संभव है। आई एम पी एस विधि से 1 रुपए से दो लाख रुपए की राशि एक दिन में हस्तांतरित की जा सकती है। इस विधि का शुभारंभ वर्ष 2010 में हुआ। आई एम पी एस विधि की निम्नलिखित विशेषताएं हैं:

1. आइएमपीएस एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में मुद्रा के हस्तांतरण की तीव्रतम विधियों में से एक है।
2. यह कोषों को भेजने एवं प्राप्त करने की सुगम, तीव्र एवं सुरक्षित विधि है।
3. इस विधि का उपयोग नेट बैंकिंग एवं मोबाइल बैंकिंग की सहायता से किया जा सकता है।
4. आई एम पी एस का उपयोग सार्वजनिक एवं बैंक अवकाश वाले दिन भी किया जा सकता है।
5. कोषों के हस्तांतरण के पश्चात धन भेजने वाले एवं प्राप्त करने वाले को कोष हस्तांतरण की सूचना दी जाती है।
6. आइएमपीएस द्वारा एक दिन में एक रुपए से दो लाख रुपए तक हस्तांतरित किए जा सकते हैं।

आई एम पी एस सुविधा नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। जबकि नेफ्ट, आर टी जी एस तथा ईसीएस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कोष हस्तांतरण की सेवाओं को भारतीय रिजर्व बैंक की सहायता से उपलब्ध करवाया जाता है। उपरोक्त तीनों विधियों की सहायता से केवल हमारी राष्ट्रीय सीमा के अंतर्गत कोषों का हस्तांतरण किया जा सकता है। इनके द्वारा देश के बाहर कोषों का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता।

स्विफ्ट(SWIFT)

(Society For World-wide Interbank Financial Telecommunications - SWIFT)

स्विफ्ट, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय नेटवर्क है जिसकी सहायता से विश्व के अनेक देशों के सदस्य बैंकों के मध्य कोषों का हस्तांतरण संभव होता है। स्विफ्ट का प्रधान कार्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। भारत के समस्त बड़े बैंक जो विदेशी विनियम में व्यवहार करते हैं स्विफ्ट के सदस्य हैं। स्विफ्ट से जुड़े समस्त सदस्य बैंक एवं उनकी शाखाओं को एक बैंक पहचान संख्या (Bank Identification Code-BIC) प्रदान की जाती है जिसकी सहायता से ये बैंक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोष हस्तांतरण के संदेशों का आदान प्रदान करते हैं।

स्विफ्ट एक उच्च श्रेणी की सुरक्षित एवं दक्ष प्रणाली है जिसकी सहायता से एक निश्चित अवधि में धन हस्तांतरण संबंधित संदेशों को भेजा एवं प्राप्त किया जाता है। यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विनियम संबंधी संदेशों को भेजने की एक वैश्विक प्रणाली है। इसके द्वारा कम लागत पर अत्यधिक विश्वसनीयता के साथ संदेश वाहन संभव होता है। स्विफ्ट की सहायता से कोषों का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुरंत हस्तांतरण किया जा सकता है। इसकी सहायता से मात्र 20 सेकंड में संदेश प्राप्त किया जा सकता है। वर्तमान में भारत के लगभग सभी बैंक स्विफ्ट के सदस्य हैं।

इलेक्ट्रॉनिक कोष हस्तांतरण के लाभ

(Benifits of EFT)

1. इलेक्ट्रॉनिक कोष हस्तांतरण, कोषों के हस्तांतरण की एक तीव्र विधि है।
2. इसमें किसी प्रकार की कागजी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होती।
3. इस विधि में समय की बचत होती है।
4. इस विधि में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों की पालना करने पर किसी प्रकार की जोखिम की संभावना नहीं रहती।

5. इलेक्ट्रॉनिक विधि से धन के हस्तांतरण करने पर ग्राहक को बैंक शाखा में जाने की आवश्यकता नहीं होती इससे बैंक में कम भीड़ रहती है।
6. इ एफ टी से कोष हस्तांतरित करने पर कोष हस्तांतरण की लागत कम आती है।
7. इन विधियों के उपयोग से बैंकिंग व्यवस्था की दक्षता में सुधार हुआ है।

इलेक्ट्रॉनिक कोष हस्तांतरण की जोखिमें (Risks in EFT)

इलेक्ट्रॉनिक कोष हस्तांतरण, विभिन्न बैंक खातों में धन को हस्तांतरित करने की एक तीव्र, सरल एवं सुविधाजनक विधि है परंतु इसमें अनेक सुरक्षा संबंधी जोखिम भी निहित हैं। इलेक्ट्रॉनिक विधि से कोर्स हस्तांतरण की विधियां वर्तमान समय में अत्यंत उपयोगी हैं फिर भी निजता (प्राइवैसी) एवं सुरक्षा तत्व की अनदेखी नहीं की जा सकती। इलेक्ट्रॉनिक विधि से कोष हस्तांतरित करने की विधियों में कुछ अंतर्निहित दोष किस प्रकार हैं:

1. इलेक्ट्रॉनिक कोष हस्तांतरण के समय ग्राहक की निजी जानकारी अनाधिकृत व्यक्ति के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। निजता संबंधी यह समस्या एक से अधिक बैंक खाते होने पर और भी अधिक बढ़ जाती है।
2. इलेक्ट्रॉनिक कोष हस्तांतरण एवं धन आहरण की सीमा विभिन्न बैंकों के द्वारा अलग-अलग निर्धारित की जाती है। इसी के साथ एक दिन में किए जाने वाले लेनदेन की संख्या भी निश्चित होती है।
3. ऑनलाईन लेनदेन करते समय बैंक ग्राहक के खाते एवं एटीएम अथवा डेबिट कार्ड की जानकारी इंटरनेट पर जाती है, जिसकी वजह से बैंक खाते का अनुचित प्रयोग किया जा सकता है। बैंक खाते को हैक (hack) करके अवांछित व्यक्ति बड़ी मात्रा में धन को हस्तांतरित कर सकता है।

